



त्रैमासिक पारिवर्तन

कारा सुधारात्मक पहल की साक्षी

जनवरी-2025 से मार्च-2025 | अंक :24 (त्रैमासिक)



गृह विभाग (कारा), बिहार अंतर्गत कारा एवं सुधार सेवाएँ नियंत्रणाधीन बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली) द्वारा प्रकाशित



त्रैमासिक पारिवर्तन

कारा सुधारात्मक पहल की साक्षी

जनवरी-2025 से मार्च-2025 | अंक :24 (त्रैमासिक)

संरक्षक :

श्री अरविन्द कुमार चौधरी (भा.प्र.से.)

अपर मुख्य सचिव

गृह विभाग, बिहार, पटना।

प्रधान सम्पादक :

श्री प्रणव कुमार (भा.प्र.से.)

सचिव गृह-सह-महानिरीक्षक

कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना।

सम्पादक :

ई० जितेन्द्र कुमार

निदेशक

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

सह सम्पादक :

डॉ. रविकान्त देव,

उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग,

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

श्री अमर शक्ति

उपनिदेशक,

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

श्री ओमप्रकाश शांतिभूषण

विशेष कार्य पदाधिकारी,

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

सुश्री अंकिता कुमारी,

प्रोबेशन पदाधिकारी,

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर (वैशाली)

टंकण :

श्री रमेश कुमार

कक्षपाल



इस अंक में

- संदेश
संपादक की कलम से 3
- सहायक अधीक्षक एवं कक्षपालों के प्रशिक्षण सत्र का
सत्रवसान एवं पारण परेड कार्यक्रम 5-10
- स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित राजकीय परेड। 11-13
- BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला
सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों
का प्रशिक्षण। 14-16
- BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला
सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों
का प्रशिक्षण। 17-21
- BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला
सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों
का प्रशिक्षण। 22-27
- BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला
सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों
का चतुर्थ एवं पंचम, पाँच दिवसीय प्रशिक्षण। 28-36
- जनवरी से मार्च-2025 तक संपन्न वेबिनार प्रशिक्षण
की सूची 37-38

रचनाएँ:-

1. सफर। 39
2. राह-ए-वतन। 39

चित्रकला:-

40-42



संपादक की कलम से...

त्रैमासिक पत्रिका “परिवर्तन” के नवीन अंक आप सबके समक्ष प्रस्तुत करते हुए मैं अत्यन्त प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। पाठकों द्वारा निरंतर मिलने वाली सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा उनके सक्रिय जुड़ाव ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस पत्रिका ने अपनी प्रस्तुति और संपादन के स्तर पर एक प्रतिमान स्थापित कर लिया है।

इस अंक में माह जनवरी-2025 से मार्च-2025 तक संस्थान में हुए कार्यक्रमों एवं बिहार कारा सेवा, बिहार प्रोबेशन सेवा एवं अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों व कर्मियों के लगातार क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षण संबंधी गतिविधियों एवं कारा में सुधारात्मक कार्यक्रमों व कारा में पदाधिकारियों/कर्मियों व बंदियों के स्वरचित रचनाओं को रोचक रूप में प्रस्तुत किया गया है, उम्मीद है कि आप सभी को यह पंसद आयेगी।

पत्रिका के प्रधान संपादक एवं पूरी संपादक मंडल का सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके अथक प्रयास एवं सहयोग से इस पत्रिका का प्रकाशन संभव हो पाया है।

शुभकामनाओं सहित।

ई0 जितेन्द्र कुमार

निदेशक,

बीका, हाजीपुर।

सहायक अधीक्षक एवं कक्षपालों के प्रशिक्षण सत्र का सत्रावसान एवं पारण परेड कार्यक्रम।

दिनांक-19.01.2025 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर में बिहार कारा सेवा के 09 प्रशिक्षु सहायक अधीक्षकों के आधारभूत प्रशिक्षण सत्र एवं राज्य की विभिन्न काराओं के 2015 में भुतपूर्व सैनिक/होमगार्ड कोटे से नियुक्त 107 (एक सौ सात) कक्षपालों के प्रशिक्षण सत्र का सत्रावसान परेड सम्पन्न हुआ।

पासिंग आउट परेड में श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA ने परेड की सलामी ली एवं मार्च पास्ट का निरीक्षण किया। इस अवसर पर प्रशिक्षु सहायक अधीक्षकों एवं प्रशिक्षु कक्षपालों ने ओजस्वी एवं उत्साह पूर्वक सलामी दी। मुख्य अतिथि, श्री रूपक कुमार, काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर द्वारा सभी प्रशिक्षु सहायक अधीक्षकों एवं कक्षपालों को कर्तव्य निष्ठा, तत्परता एवं राष्ट्र सेवा से संबंधित शपथ दिलाया गया। तदोपरान्त पदाधिकारियों द्वारा 09 सहायक अधीक्षकों को प्रशिक्षणोपरान्त Badges प्रदान किया गया। श्री सुधीर कुमार सौरभ, सहायक अधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ को परेड कमांडर के लिए साथ ही द्वितीय परेड कमांडर सह प्लाटून कमांडर, राष्ट्रीयध्वज वाहक, काराध्वज वाहक, उत्कृष्ट पी0टी0 व डील एवं उत्कृष्ट अनुशासन के लिए भी संबंधित प्रशिक्षुओं को मेडल प्रदान किया गया। Over all Topper 1st, 2nd & 3rd Rank प्राप्त करने वाले प्रशिक्षुओं को मेडल, मार्चपास्ट एवं परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्लाटून-03 को चयनित कर सम्मानित किया गया तथा प्रशिक्षण के दौरान आयोजित विभिन्न प्रकार के खेलों के विजेता एवं उपविजेता टीम को भी पुरस्कृत किया गया।

इस कार्यक्रम में संबोधन करते हुये श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA ने उपस्थित मुख्य अतिथि एवं सभी मंचासीन पदाधिकारियों अभिनंदन करते हुए कहा कि आज 09 प्रशिक्षु सहायक अधीक्षकों के चतुर्थ बैच एवं वर्ष 2015 में भुतपूर्व सैनिक/होमगार्ड कोटे से नियुक्त 107 (एक सौ सात) कक्षपालों का 03 माह के सांस्थिक प्रशिक्षणोपरान्त समापन कार्यक्रम है, जिसमें सभी प्रशिक्षु पूर्णतः प्रशिक्षित होकर आज यहाँ से अपने कर्तव्य पर जाएंगे, उन्होंने सभी को प्रशिक्षित होने पर शुभकामनाएँ दी। उन्होंने विशेष रूप से सहायक अधीक्षकों को कहा कि आपके लिये यह प्रशिक्षण अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने सभी को सहनशीलता, अनुशासन एवं समन्वय बनाये रखने के लिये प्रसन्नता व्यक्त करते हुये भावी कार्य स्थल पर निरंतरता बनाये रखते हुए अनुशासन का परिचय देने हेतु कहा। प्रशिक्षण अवधि में सहायक अधीक्षक एवं कक्षपालों के अनुशासित जीवनशैली को उत्कृष्ट बताते हुये कहा कि आप सभी कारा में जाने के बाद भी अनुशासित रहते हुये पी0टी0, परेड नियमित रूप से करें, जिससे आपका स्वास्थ्य बेहतर हो। उन्होंने सभी अनुदेशकों को बेहतरीन प्रशिक्षण कराने हेतु धन्यवाद किया।

इस कार्यक्रम में श्री अमर शक्ति, उपनिदेशक, BICA, हाजीपुर ने धन्यवाद ज्ञापन करते हुए मुख्य अतिथि, श्री रूपक कुमार, काराधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर का व्यस्ततम कार्यक्रम से समय निकाल कर BICA, आगमन हेतु धन्यवाद किया तथा कहा कि आपके द्वारा दिया गया मार्गदर्शन प्रशिक्षित सहायक अधीक्षक एवं कक्षपालों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा। उन्होंने इस अवसर पर संस्थान के निदेशक सहित सभी पदाधिकारियों एवं कर्मी तथा उपस्थित सभी प्रशिक्षुओं एवं उनके परिजनों का धन्यवाद ज्ञापन किया।

पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में मंच संचालन का कार्य सुश्री अंकिता कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर द्वारा किया गया।

इस अवसर पर श्री रूपक कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, हाजीपुर, श्री ओम प्रकाश शांति भूषण, विशेष कार्य पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर, श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, अभियोजन कोषांग, BICA, हाजीपुर, श्री अभय कुमार सिंह, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर, बिहार जेल मेंस एसोसिएशन के नवनिर्वाचित सदस्य एवं BICA, हाजीपुर के सभी कर्मी तथा सभी प्रशिक्षुओं के परिजन उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की झलकियाँ







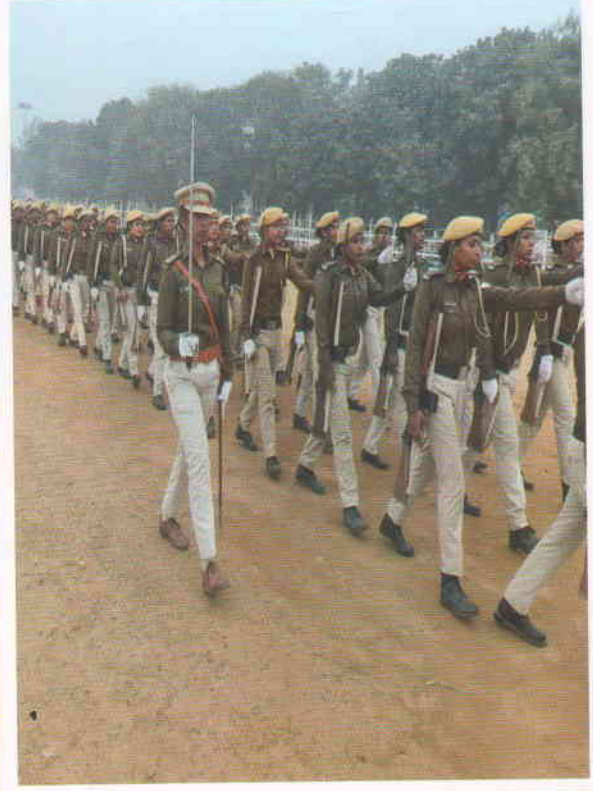


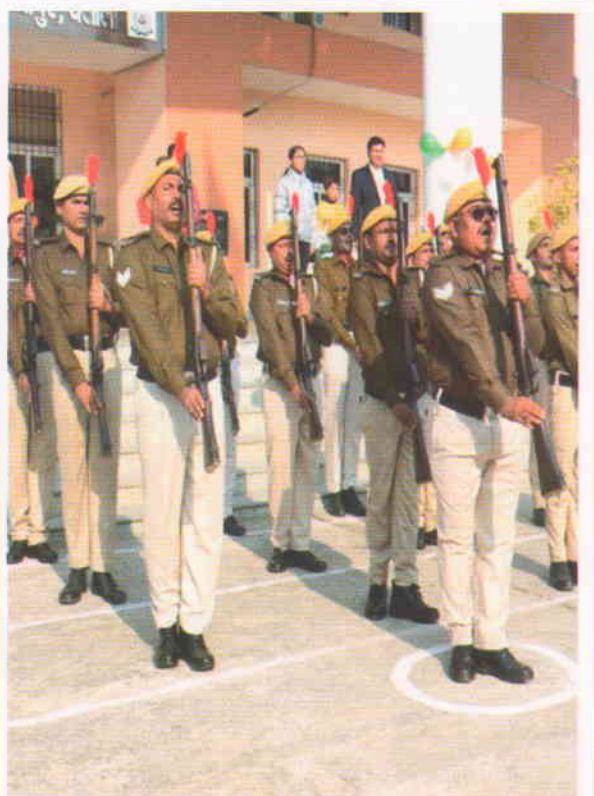
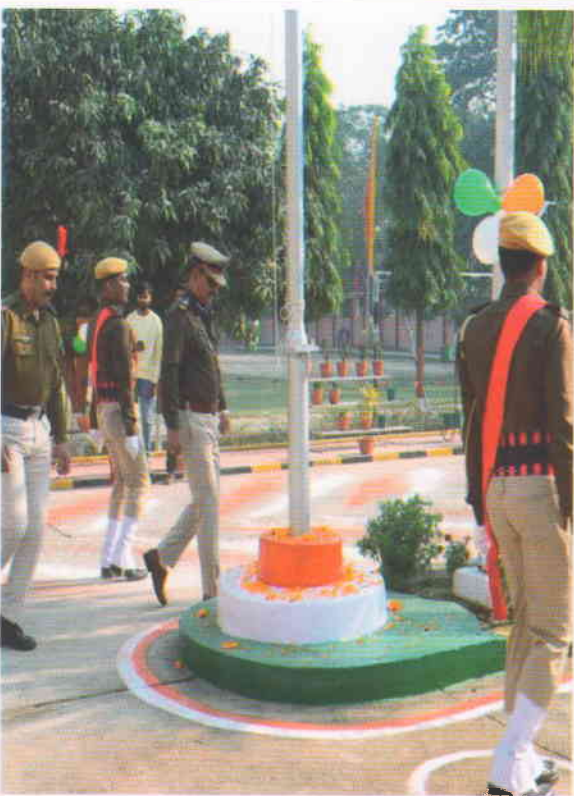
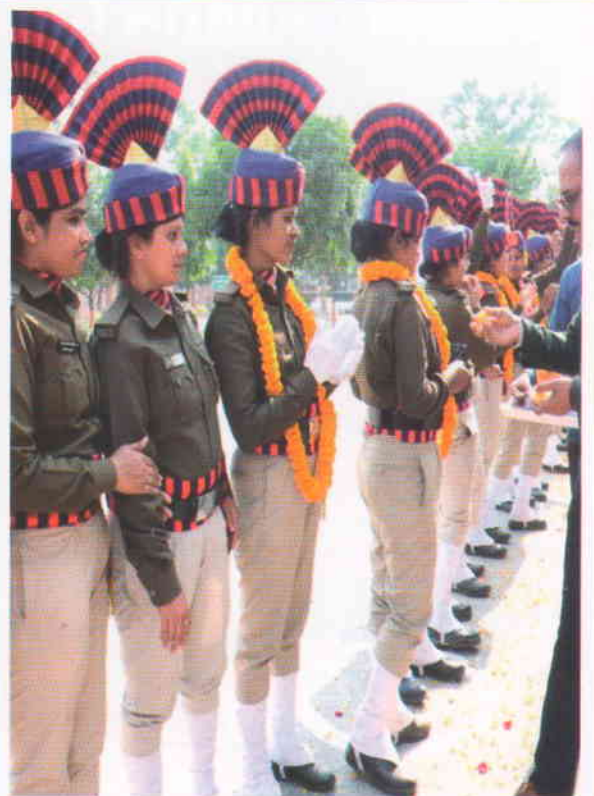


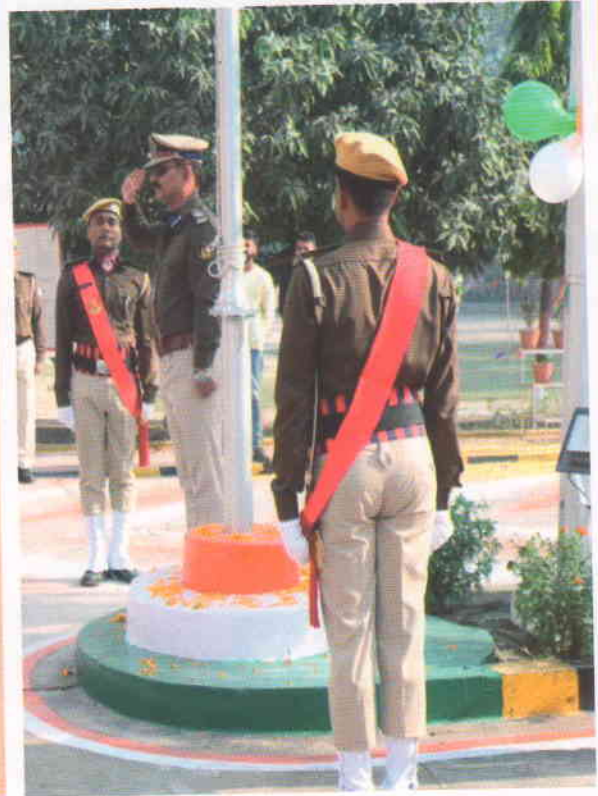
गणतंत्र दिवस पर आयोजित राजकीय परेड

गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2025) पर आयोजित राजकीय परेड में गृह (कारा) विभाग के महिला कक्षपालों की एक टोली, जिसमें कुल-40 महिला कक्षपाल एवं 04 सहायक अधीक्षक को संस्थान द्वारा पूर्वाभ्यास कराकर शामिल कराया गया, शामिल टोली द्वारा उक्त राजकीय परेड के Non Professional Category में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया। संस्थान की ओर से इनके इस उपलब्धि को प्रोत्साहित करते हुए भविष्य में और अधिक अच्छा करने हेतु प्रेरित किया गया।

परेड की झलकियाँ







BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक-05.02.2025 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैशाली के प्रशासनिक भवन स्थित दशरथ मांझी सभागार (ऑडिटोरियम) में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का प्रथम पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं मंचासीन पदाधिकारियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बिहार अभियोजन सेवा के 25 पदाधिकारी उपस्थित थे।

स्वागत संबोधन करते हुए श्री रवि कान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, BICA ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि, श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बताया कि BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित विभिन्न कोर्स को पूर्व के वर्षों में BICA द्वारा संपन्न कराया गया है, जो BICA की बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वित्तीय वर्ष में महिला सुरक्षा विषय पर 05 कोर्स संस्थान को उपलब्ध कराया गया है, इसी कड़ी में आज महिला सुरक्षा के प्रथम कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रशिक्षण संबंधी जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण के मूल विषयों को समाविष्ट करते हुये सभी अपेक्षित पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है, जिसे 18 सत्र में समाहित किया गया है, जिसमें अपने क्षेत्र के गुणी साधन व्यक्तियों द्वारा सत्र लिया जाएगा। इस दौरान उन्होंने निर्भया फंड द्वारा वित्त पोषित इस पाँच दिवसीय महिला सुरक्षा कार्यक्रम में समाहित कोर्स के बारे में प्रतिभागियों को विस्तृत रूप से जानकारी दी। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि-सह-मुख्य वक्ता, श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आतिथ्य स्वीकार करने के प्रति धन्यवाद दिया तथा BICA के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुये उन्होंने बताया कि BPR&D, नई दिल्ली द्वारा Prosecution एवं Prison के लिये अधिक से अधिक कोर्स उपलब्ध कराये जाते हैं, यह संस्थान की बड़ी उपलब्धि है। इस अवसर पर उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव एवं फीडबैक अवश्य संस्थान को दें, जिससे उस पर उचित कार्य करते हुये और बेहतर रूप से प्रशिक्षण कराया जा सके।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि-सह-मुख्य वक्ता, श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को श्री अमर शक्ति, उपनिदेशक, BICA द्वारा सप्रेम प्रतीक चिह्न एवं श्री ओम प्रकाश शांति भूषण, विशेष कार्य पदाधिकारी, BICA द्वारा अंग वस्त्र भेंट की गई। इस कार्यक्रम का मंच संचालन श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, अभियोजन कोषांग, BICA, हाजीपुर द्वारा किया गया।

इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्री अभय कुमार सिंह, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर ने मुख्य अतिथि-सह-मुख्य वक्ता, श्री ओम प्रकाश, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का आमंत्रण स्वीकार कर संस्थान में पधारने हेतु धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर BICA, हाजीपुर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की झलकियाँ





BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक-20.02.2025 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैशाली के प्रशासनिक भवन स्थित दशरथ मांझी सभागार (ऑडिटोरियम) में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का द्वितीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार एवं मंचासीन पदाधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बिहार अभियोजन सेवा के 28 पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री रवि कान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, BICA ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार तथा उपस्थित सभी पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए निर्भया फंड द्वारा वित्त पोषित महिला सुरक्षा कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया की पूर्व के 04 वर्षों में BICA द्वारा 30 महिला सुरक्षा कार्यक्रम का





सफल आयोजन किया गया है। इस वित्तीय वर्ष में महिला सुरक्षा विषय पर 05 कोर्स संस्थान को उपलब्ध कराया गया है, इसी कड़ी में आज महिला सुरक्षा के द्वितीय कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है।

इस अवसर पर श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA ने BPR & D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में

उपस्थित मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आगमन हेतु धान्यवाद दिया तथा प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये कहा कि BPR&D, नई दिल्ली द्वारा BICA को पूरे देश में अत्यधिक कोर्स दिये जाते हैं, जिसे संस्थान द्वारा ससमय संपन्न कराया जाता है, इस प्रकार यह संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर अपना स्थान रखता है। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आप अपने कठिनाइयों को सामने रखें, जिससे आपको भविष्य में कार्य करने में कठिनाई नहीं हो। आप अपने अनुभव एवं फिडबैक अवश्य संस्थान को दें, जिससे उस पर उचित कार्य करते हुये और बेहतर रूप से प्रशिक्षण कराया जा सके।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को मूलतः तीन समस्याएँ होती हैं-मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक, इस पर कार्य किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कार्य के दौरान के अपने अनुभवों को प्रतिभागियों के समक्ष रखते हुये बताया कि महिलाओं को सहनशीलता की शिक्षा दी जाती है, और सहनशील व्यक्ति को ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही बताया कि किस प्रकार कार्यस्थल पर महिलाओं के

प्रति हिंसा, स्कूली बच्चियों एवं कामकाजी महिलाओं को असामाजिक तत्वों से सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अभिभावक अपने बच्चियों को इस प्रकार की शिक्षा दें, जिससे कोई भी लड़की या महिला मानसिक प्रताड़ना का शिकार न हो पाये।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार को श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA, द्वारा सप्रेम पाग, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट की गई।

इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सुश्री अंकिता कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर ने मुख्य अतिथि, श्री बटेश्वर नाथ पांडे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-न्यायिक सदस्य, R.E.A.T, बिहार का आमंत्रण स्वीकार कर संस्थान में पधारने हेतु कोटिश: धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री ओम प्रकाश शांति भूषण, विशेष कार्य पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर, श्री अमर शक्ति, उपनिदेशक, BICA, हाजीपुर एवं संस्थान के सभी पदाधिकारी, प्रशिक्षण हेतु उपस्थित प्रतिभागी एवं प्रशिक्षु कक्षपाल तथा BICA, हाजीपुर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की झलकियाँ







BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का प्रशिक्षण

दिनांक-23.02.2025 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैशाली के प्रशासनिक भवन स्थित दशरथ मांझी सभागार (ऑडिटोरियम) में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का तृतीय पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिन्हा, Former Registrar General, पटना उच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि श्री रंजीत शंकर प्रसाद, वरीय विधि पदाधिकारी, गृह विभाग एवं श्री धर्मेश कुमार, सहायक निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बिहार अभियोजन सेवा के 29 पदाधिकारी उपस्थित थे।

इस अवसर पर श्री रवि कान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, BICA ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिन्हा, Former Registrar General, पटना उच्च न्यायालय तथा उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया की पूर्व के वर्षों में भी BICA द्वारा महिला सुरक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जाता रहा है। इस वित्तीय वर्ष में भी महिला सुरक्षा विषय पर 05 कोर्स संस्थान को उपलब्ध कराया गया है, इसी कड़ी में आज महिला सुरक्षा के तृतीय कोर्स का शुभारंभ किया जा रहा है।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री रंजीत शंकर प्रसाद, वरीय विधि पदाधिकारी, गृह विभाग ने अपने संबोधन में कहा कि आखिर क्यों सरकार को महिला सुरक्षा का कार्यक्रम कराने की आवश्यकता पड़ी? आज के प्रशिक्षण का आयोजन महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में किया गया है, जो सराहनीय है। साथ ही बताया कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ नहीं है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव किये जाने की जरूरत है। महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह कार्यक्रम कराया जा रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा चलाये जा रहे कई कार्यक्रमों की जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक आधी आबादी सशक्त नहीं होगी, तब तक उनके प्रति लोगों की अवधारणा नहीं बदलेगी। खासकर महिलाओं को आगे आना होगा, जिससे उनका सुदृढ़ीकरण हो सके।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिन्हा, Former Registrar General, पटना उच्च

न्यायालय ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्व में हमारा स्थान निचले पायदान पर है। यह अत्यंत दुखद है। महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पूरे देश में इतने कार्यक्रम कराये जा रहे हैं, फिर भी हम काफी पीछे हैं, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने उपस्थित अभियोजन पदाधिकारियों को उनके कार्य का बोध कराते हुए कहा कि समाज में महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता महिला सशक्तिकरण इत्यादि अनेक कार्य हैं, जो आपको जिम्मेवार रहते हुये करना है। उन्होंने प्रतिभागियों को अपने कार्यकाल के दौरान के कई महत्वपूर्ण कार्यों की जानकारी दी। साथ ही बताया कि महिला सुरक्षा आज ज्वलंत मुद्दा है। प्राचीन काल में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बाद में सहभागिता कमजोर होती गयी जिसके कारण महिला की शिक्षा के स्तर में गिरावट आती गयी, जिसका परिणाम आधी आबादी का योगदान सामाजिक रूप में समाज के विकास में कम हो गया। साथ ही, उन्होंने बताया कि बाहर कार्य करने वाले महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून की आवश्यकता है, जरूरत है कि अधिकारों तथा प्रक्रियाओं की जानकारी दी जाय एवं इसके प्रति उन्हें और हमें सचेत होने की जरूरत है। पुनः उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में समाहित विषयों एवं सत्र लेने वाले साधन व्यक्तियों के बारे में बताते हुये प्रसन्नता व्यक्त की तथा प्रतिभागियों को एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिन्हा, Former Registrar General, पटना उच्च न्यायालय, विशिष्ट अतिथि श्री रंजीत शंकर प्रसाद, वरीय विधि पदाधिकारी, गृह विभाग, एवं श्री धर्मेश कुमार, सहायक निदेशक, अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना को श्री रवि कान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, BICA द्वारा सप्रेम अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिन्ह भेंट की गई।

इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए श्री अभय कुमार सिंह, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी, BICA, हाजीपुर ने मुख्य अतिथि, श्री मनोज कुमार सिन्हा, Former Registrar General, पटना उच्च न्यायालय का आमंत्रण स्वीकार कर संस्थान में पधारने हेतु कोटिशः धन्यवाद दिया।

इस अवसर पर अतिथि साधन व्यक्ति श्री कुमार गौरव, सहायक प्राध्यापक, चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, बिहार, पटना एवं संस्थान के सभी पदाधिकारी, प्रशिक्षण हेतु उपस्थित प्रतिभागी एवं प्रशिक्षु कक्षपाल तथा BICA, हाजीपुर के सभी कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की झलकियाँ







कार्यक्रम • महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्व में हमारा स्थान निचले पायदान पर है, यह है अत्यंत दुःखद:

जब तक आबादी सशक्त नहीं होगी, तब तक लोगों की अवधारणा नहीं बदलेगी

रिपोर्टिंग | एडिटर

[illegible]

तृतीय पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया



पद्याभिव्यक्तियों को संयोजित करते हैं अतिथि।

महिला सुरक्षा आज ज्वलंत मुद्दा है

[illegible]

इन्फ्लेक्सी रही उपस्थिति

पटना
अभियोजन
निदेशावली धर्मेश
कुमार, काणक्य
राष्ट्रीय विधि
विषयविद्यालय
पटना के
सहायक
प्राध्यापक कुमार
गौतम, समेत
संस्थान के सभी
प्रदाधिकारी,
अतिथि साधन,
समेत कार्यक्रम
में विहार
अभियोजन सेवा
के 29
प्रदाधिकारी
उपस्थित थे।

**महिलाओं की स्थिति में बदलाव
किये जाने की जरूरत है**

अभिप्रायों पर विचारकर दोनों को संतोषीकरा करती हुए निष्कर्ष निकालती हैं। अतः यहाँ प्रत्यक्ष में कदा भी कोई अधिकारी नहीं सरकार को महिला सुरक्षा का कार्यवाहक करने की आवश्यकता पड़ी है। आज के प्रसिद्धिमान का अर्थोपान महिलाओं की सुरक्षा के सम्बन्ध में किया गया है, जो सहायनी है। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में महिलाओं की भी स्थिति बहुत खराब है। महिलाओं की स्थिति में बदलाव करने का जो जवाबदारी है। महिलाओं की सुरक्षा के मुद्देयोजना से यह कार्यवाहक करना जो रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा हेतु विभिन्न दूर चलाये जा रहे कई कार्यवाहकों को जानकारी देते हुये बताया कि महिलाओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा सांस्कृतिक प्रयास किया जा रहा है। जब तक आधी आभासी सरकारी नहीं होती, तब तक उनके प्रति लोगों की अवधारणा नहीं बदलेगी। सांस्कृतिक महिलाओं की आगे आना होगा, जिससे उनका सुदृढ़ीकरण हो सके। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण करना ज्यादा जरूरी महसूस करते हैं, हमारे समाज परसे है, जिससे कार्यवाहक में प्रशिक्षण देना ही सबसे जरूरी है। हमारे समाज में महिलाओं के सम्बंध में सांस्कृतिक निदेशक धर्मो कुमार ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान आप अपने कर्मचारी को सामने रखें, जिससे आपको अधिक में कार्य करने के प्रतिवादी नहीं हो। आप अपने अनुभव एवं विचारों के अन्वय से सम्बंध को दें, जिससे उस पर उचित कार्य करने लगे और निरंतर रूप से प्रशिक्षण करना जो इसके द्वारा हम ही प्रत्यक्षीय प्रशिक्षण की साधकता सिद्ध होगी।



BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का चतुर्थ एवं पंचम, पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

दिनांक-05.03.2025 को बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैशाली के प्रशासनिक भवन स्थित दशरथ मांझी सभागार (ऑडिटोरियम) में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित “महिला सुरक्षा” विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का चतुर्थ एवं पंचम, पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि Hon'ble Justice Samarendra Pratap Singh, स्वतंत्र Arbitrator, Patna, विशिष्ट अतिथि श्री प्रणव कुमार, सचिव, गृह-सह-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बिहार अभियोजन सेवा के 60 पदाधिकारी एवं बिहार कारा सेवा के 04 नवनियुक्त परीक्ष्यमान काराधीक्षक उपस्थित थे।

कार्यक्रम का मंच संचालन करते हुए श्री अमित कुमार, सहायक निदेशक, अभियोजन कोषांग, BICA ने मुख्य अतिथि के व्यक्तित्व एवं उपलब्धियों के बारे में सभी प्रतिभागियों को विस्तृत परिचय दिया। साथ ही पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जानकारी दी।

इस अवसर पर श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA ने स्वागत संबोधन करते हुये BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित दो पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आतिथ्य स्वीकार करने के प्रति धन्यवाद दिया। साथ ही कहा कि आज अभियोजन तथा कारा सेवा के पदाधिकारी इस प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण मॉड्यूल में सभी अपेक्षित पाठ्यक्रमों का चयन करते हुये 19 सत्र में समाहित किया गया है। सभी प्रतिभागी प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव एवं फीडबैक अवश्य संस्थान को दें, जिससे उस पर उचित कार्य करते हुये और बेहतर रूप से प्रशिक्षण कराया जा सके।

इस अवसर पर श्री रवि कान्त देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, BICA ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि Hon'ble Justice Samarendra Pratap Singh, स्वतंत्र Arbitrator, Patna, विशिष्ट अतिथि श्री प्रणव

कुमार, सचिव, गृह-सह-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना तथा उपस्थित सभी मंचासीन पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए महिला सुरक्षा विषय के चतुर्थ एवं पंचम् कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्री प्रणव कुमार, सचिव, गृह-सह-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना ने BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा कि संस्थान द्वारा ससमय विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, इसी कड़ी में आज महिला सुरक्षा विषय पर पाँच दिवसीय दो प्रशिक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने प्रतिभागियों को बताया कि निर्भया काण्ड के पश्चात् राष्ट्र की आधी आबादी की सुरक्षा तथा संरक्षण हेतु सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। महिलाओं की वर्तमान में सुरक्षा एवं स्थिति को देखते हुये कई आवश्यक कदम उठाये गये हैं, जिससे महिलाओं के उत्थान में सहायता मिली है। उन्होंने जिविका, महिला हेल्प डेस्क, One Stop Centre, महिला थाना इत्यादि सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हुये उनके प्रदत्त लाभ की विवेचना की। महिला सशस्तीकरण के बारे में बताते हुये उन्होंने कहा कि आज हमारे फोर्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे महिलाएँ खुद को सुरक्षित, सशक्त एवं मजबूत महसूस करेंगी। उन्होंने महिला ट्रैफिकिंग, Acid Attack, दहेज प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के बारे में बताते हुये समाज में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की संख्या के अनुपात का भी जिक्र किया तथा उसमें सुधार हेतु संकल्पित होने को कहा। उन्होंने 05 दिवसीय कोर्स मॉडल की सराहना करते हुये प्रतिभागियों को अपने मन की जिज्ञासा दूर करते हुये सत्र में प्रशिक्षण लेने हेतु प्रेरित किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि यह सौभाग्य की बात है कि BPR&D, नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित महिला सुरक्षा विषय पर पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुझे अपने उद्गार व्यक्त करने का अवसर मिला है। उन्होंने कहा कि प्राचीन काल में भी महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। आदि काल में सती प्रथा, बाल विवाह इत्यादि के बारे में अभियान चलाकर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आज महिलाओं की संख्या आधी आबादी के लगभग है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पूरे देश में कई कार्यक्रम कराये जा रहे हैं, फिर भी हम काफी पीछे हैं, इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न केसों तथा कई Articles के बारे में चर्चा करते हुये प्रतिभागियों को जानकारी दी तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये गये गाईडलाइन के बारे में बताया। प्रतिभागियों को

बताया कि पुराने Law में काफी बदलाव करते हुये नये प्रावधानों को जोड़कर कानून में संशोधन किया गया है, जिससे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एवं महिला सशक्तीकरण में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि निर्भया केस के बाद नारी सशक्तीकरण से संबंधित कई सारी गाईडलाईन सरकार द्वारा चलाये जा रहे हैं। उन्होंने उपस्थित अभियोजन पदाधिकारियों को उनके कार्य का बोधा कराते हुये कहा कि आपको प्रशासन के साथ मिलकर तालमेल रखते हुये समाज में महिलाओं की आर्थिक सुदृढ़ता महिला सशक्तीकरण इत्यादि अनेक कार्य हैं, जिसे जिम्मेवार रहते हुये करना है। उन्होंने कहा कि अगर आप समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनके मर्यादा के प्रति जागरूक हैं, तभी महिला सशक्तीकरण एवं इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि Hon'ble Justice Samarendra Pratap Singh, स्वतंत्र Arbitrator, Patna एवं विशिष्ट अतिथि श्री प्रणव कुमार, सचिव, गृह-सह-महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएँ, बिहार, पटना को श्री नीरज कुमार झा, तत्कालीन, निदेशक, BICA द्वारा सप्रेम पाग, अंग वस्त्र एवं प्रतीक चिह्न भेंट की गई।

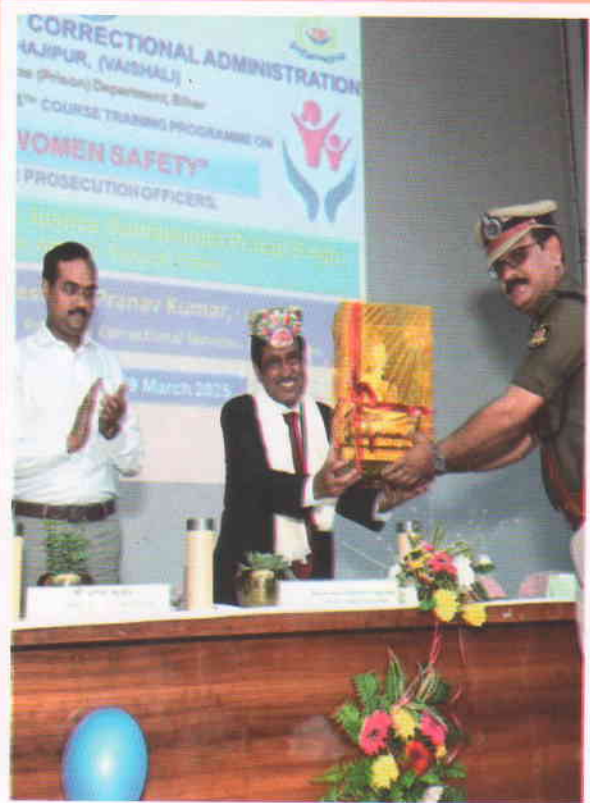
इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करते हुए सुश्री अंकिता कुमारी, प्रोबेशन पदाधिकारी ने मुख्य अतिथि Hon'ble Justice Samarendra Pratap Singh, स्वतंत्र Arbitrator, Patna को धन्यवाद ज्ञापित करते हुये कहा कि आपने इस पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में आमंत्रण स्वीकार कर संस्थान में पधारा, इस हेतु आपको कोटिश: धन्यवाद। संस्थान आपके पुनः आगमन हेतु प्रार्थी है।

इस अवसर पर अभियोजन निदेशालय, बिहार, पटना एवं संस्थान के सभी पदाधिकारी, प्रशिक्षण हेतु उपस्थित प्रतिभागी एवं प्रशिक्षु कक्षपाल तथा BICA, हाजीपुर के सभी पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम की झलकियाँ









महिला सुरक्षा विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का चतुर्थ एवं पंचम सत्र का शुरू हुआ पांच दिवसीय प्रशिक्षण महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनें, तभी महिला सशक्तीकरण की होगी सार्थकता : न्यायमूर्ति

विशेष रिपोर्ट/राजीवपुर

विहार सूचनात्मक प्रशासनिक संस्थान, हाजीपुर, वैराटली के प्रशासनिक भवन स्थित दोसरे मंजिली सभागार में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (पीआर डी) दिल्ली द्वारा आयोजित महिला सुरक्षा विषय पर अभियोजन सेवा के पदाधिकारियों का चतुर्थ एवं पंचम सत्र का पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनावरण किया गया। जिसका उद्घाटन मुख्य अतिथि सहाय न्यायमूर्ति समीर प्रसाद सिंह व निरीक्षक अभिषेक प्रमोद कुमार, सीक्रेटरी, गृह-साह-सांख्यिक, कला एवं सार्वजनिक, बिहार, पटना द्वारा संयुक्त रूप से होया प्रारंभिक रूप में किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं निरीक्षक अभिषेक को भाई ऑफ ऑनर दिया गया। सभागार में आगमन के परभाव कोअतिथि के अनुपस्थित अभियोजन पदाधिकारी अर्जुन कुमार सिंह व उपनिदेशक अमर शक्ति ने अतिथियों को पीछा देकर स्वागत किया गया। संचय संयोजन करते हुए संस्थान के सहायक निदेशक अमित कुमार एवं निदेशक नीरज कुमार झा, सत्र समन्वयक सहाय संस्थान के उपनिदेशक रवि कान्त देव ने बीच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में उपस्थित सभी प्रतिभागियों को जानकारी देते हुए सभी प्रतिभागियों को पूर्ण मनोयोग से प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया।

महिलाओं की वर्तमान में सुरक्षा एवं स्थिति को देखते हुये कई आवश्यक कदम उठाये गये



अतिथियों के साथ प्रतिभागी पदाधिकारी

महिलाओं की वर्तमान में सुरक्षा एवं स्थिति को देखते हुये उठाये गये कई आवश्यक कदम

प्रशिक्षण में शामिल प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए निरीक्षक अभिषेक प्रमोद कुमार ने बताया कि निर्भया केस के परभाव सट कर आगे आया है। सुरक्षा तथा संरक्षण किम प्रकार की जाए। सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। महिलाओं की वर्तमान में सुरक्षा एवं स्थिति को देखते हुये कई आवश्यक कदम उठाये गये हैं, जिससे महिलाओं के उत्थान में सहायता मिले है। उन्होंने निवेदन, महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना संस्कार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के विषय में बताते हुये उनके प्रदत्त रूप की विवेचना की। महिला सरस्तीकरण के विषय में बताते हुये उन्होंने कहा कि आज हमारे फोरम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जिससे महिलाओं को सुरक्षित, सतत एवं मजबूत पायेगी।

प्राचीन काल से महिला सुरक्षा पर दिया जा रहा है ध्यान

मुख्य अतिथि सहाय न्यायमूर्ति समीर प्रसाद सिंह ने कहा कि प्राचीन काल में भी महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा था। अतः काल में सती प्रथा, काल मित्राह इत्यादि के बारे में अभियान चलाकर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आज महिलाओं की संरक्षण आगे आगे के लगाने है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पूरे देश में इतने कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, किन भी हम करारी फोटे हैं। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न केसों के विषय में चर्चा करते हुए प्रतिभागियों को जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट से जारी गार्डियन के विषय में बताया प्रतिभागियों को बताया कि पहले लॉ में काफी बदलाव करते हुये नए कानून

को जोड़कर कानून में संशोधन किया गया है, जिससे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एवं महिला सरस्तीकरण में बदलाव हुआ है। उन्होंने बताया कि निर्भया केस के बाद नती सरस्तीकरण से संबंधित कई सारी गार्डियन संस्कार द्वारा चलाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनके मर्यादा के प्रति जागरूक हैं, तभी महिला सरस्तीकरण एवं इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। पुनः उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रम में समाहित विषयों एवं सब लेने वाले स्थापन व्यक्तियों के बारे में बताते हुये प्रस्तुत व्यक्त को तथा प्रतिभागियों को एकत्रता के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। अंत में धन्यवाद ज्ञापन संस्थान की प्रोवेंशन पदाधिकारी अंकिता कुमारी ने दी।

आज महिलाओं की संख्या आधी आबादी के लगभग है इस पर गंभीरता से ध्यान देना आवश्यक : न्यायाधीश बीका में अभियोजन सेवा के 60 और 04 परिक्ष्यमान काराधीक्षकों के लिए पांच दिवसीय प्रशिक्षण

कार्यक्रम

जागरण संवाददाता, हाजीपुर : बिहार सुधारालय प्रशासनिक संस्थान के प्रशासनिक भवन स्थित दशरथ मंडी सभागार में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित चतुर्थ एवं पंचम पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यह प्रशिक्षण 'महिला सुरक्षा' विषय पर आयोजित है। प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि न्यायाधीश समरेन्द्र प्रताप सिंह, विशिष्ट अतिथि प्रणव कुमार, सचिव गृह सह महानिरीक्षक, कारा एवं सुधार सेवाएं द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम में बिहार अभियोजन सेवा के 60 पदाधिकारी एवं बिहार कारा सेवा के 04 नवनियुक्त परिक्ष्यमान काराधीक्षक उपस्थित थे।

कार्यक्रम में सबसे पहले मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि को गार्ड ऑफ आनर दिया गया। इस दौरान अभय कुमार सिंह, अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि को एवं अमर शक्ति



प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों के साथ मुख्य अतिथि न्यायाधीश समरेन्द्र प्रताप सिंह एवं जेल आर्डीजी प्रणव कुमार के साथ अन्य • जहाजी

उपनिदेशक द्वारा विशिष्ट अतिथि को पोषा प्रदान कर स्वागत किया गया। इस अवसर पर बीका के निदेशक नीरज कुमार झा ने बताया कि प्रशिक्षण माहवृत्त में सभी अपेक्षित पाठ्यक्रमों का चयन करते हुए 19 सत्र में समाहित किया गया है। सभी प्रतिभागियों प्रशिक्षण के दौरान के अपने अनुभव एवं पवित्रक अवसर संस्थान को दें, जिससे उस पर उचित कार्य करते हुए और बेहतर रूप से प्रशिक्षण कराया जा सके। कार्यक्रम में अपने संबोधन के क्रम में जेल आर्डीजी प्रणव कुमार ने कहा कि प्रतिभागियों को बताया कि महिलाओं की वर्तमान में सुरक्षा एवं स्थिति को देखते हुए कई आवश्यक

कदम उठाये गये हैं, जिससे महिलाओं के उत्थान में सहायता मिली है। इन्होंने जीविक, महिला हेल्प डेस्क, वन स्टॉप सेंटर, महिला थाना इत्यादि सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। महिला सशक्तीकरण के बारे में बताते हुए इन्होंने कहा कि आज हमारे फोरम में महिलाओं की घामीदारी बढ़ी है, जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित, सशक्त एवं मजबूत हो सकेंगी।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित न्यायाधीश समरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि प्राचीन काल में भी महिला सुरक्षा पर ध्यान दिया जाता था। आदि काल में सती प्रथा, बाल

विवाह इत्यादि के बारे में अभियान चलाकर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा गया है। आज महिलाओं की संख्या आधी आबादी के लगभग है, इस पर ध्यान देना आवश्यक है। इन्होंने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित पूरे देश में इतने कार्यक्रम कराए जा रहे हैं, फिर भी हम काफी पीछे हैं। इसमें बदलाव लाने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किये गये गाइड लाइन के बारे में बताया। प्रतिभागियों को बताया कि पुराने ला में काफी बदलाव करते हुए नये प्रावधानों को जोड़कर कानून में संशोधन किया गया है, जिससे महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा एवं महिला सशक्तीकरण में बदलाव हुआ है। अगर आप समाज में महिलाओं के प्रति संवेदनशील हैं, उनके सर्वोद के प्रति जागरूक हैं, तभी महिला सशक्तीकरण एवं इस कार्यक्रम की सफलता सिद्ध होगी। इस अवसर पर रजिस्ट्रार देव, उपनिदेशक, अभियोजन कोषांग-सह-सत्र समन्वयक, बीका ने बताया कि पूर्व के वर्षों में भी बीका द्वारा महिला सुरक्षा कार्यक्रम का सफल आयोजन किया जाता रहा है।





जनवरी से मार्च-2025 तक संपन्न वेबिनार प्रशिक्षण की सूची:-

क्र०	प्रशिक्षण कोर्स	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षुओं की उपस्थिति	प्रारम्भ की तिथि	समापन की तिथि	संवर्ग
01	Methods of Inquiry & Writing Report, Qualitative and Quantative Approach एवं How do Probation Officers Mobilize Public Assistance & cooperation in field of social Defence से संबंधित विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	131	25.01.2025	25.01.2025	प्रोबेशन पदाधिकारी
02	Pre Mature Release and Execution of Sentence एवं Sentence Planning विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	59	30.01.2025	30.01.2025	सभी काराधीक्षक एवं अन्य संबंधित पदा0/कर्मि
03	New Criminal Laws (BNS, BNSS, BSA) विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	110	06.02.2025	06.02.2025	प्रोबेशन पदाधिकारी
04	New Pension Scheme and Post Retirement Benefits, Office Procedure & Management विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	170	08.02.2025	08.02.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
05	Bihar Service Code विषय पर दो दिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	02 दिन	169	10.02.2025	11.02.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
06	Audit: Objective, Purpose Scope, Compliance of Inspection Audit and PAC Para विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	20.02.2025	20.02.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
07	Office Management, Noting & Drafting and Overview of G.S.T with Special focus on T.D.S विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	21.02.2025	21.02.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी

08	Role of DDO Under Bihar Finance Rules and बजट की सामान्य जानकारी, बजट की प्रक्रिया, बजट की तैयारी से संबंधित विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	22.02.2025	22.02.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
09	Departmental Proceeding विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	03.03.2025	03.03.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
10	Role of Probation Officer's in Rehabilitation Process and after Care विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	110	27.03.2025	27.03.2025	प्रोबेशन पदाधिकारी
11	Procurement Through GeM विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	27.03.2025	27.03.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
12	Income Tax से संबंधित प्रासंगिक प्रावधान एवं Income Tax निर्धारण के तरीके विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	28.03.2025	28.03.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
13	Environmental Laws/Awareness Programme विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	29.03.2025	29.03.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी
14	Workshop on Work life Balance for prison and Correctional Officers विषय पर एकदिवसीय ऑनलाईन प्रशिक्षण कार्यक्रम।	01 दिन	169	29.03.2025	29.03.2025	काराधीक्षक एवं प्रोबेशन पदाधिकारी

सफर

“लेकर चले थे कारवां,
एक-एक कर सब बिछड़ गये,
मंजिल बोझिल हो गई,
लम्बा इतना सफर बना,
शिकवा करूँ किससे यहाँ,
जब मालिक सितमगर हो गये,
करूँ ऐतबार किसपे यहाँ,
जब दगाबाज हमसफर हो गया,
दर्द सहकर भी चुप रहना पड़ता है,
रोते हुए भी मुस्कुराना पड़ता है,
अरे यार! कोई तो सुनो एक बार मेरी,
क्योंकि न चाहते हुए भी जीना पड़ता है।”

बंदी का नाम-

कुन्दन ठाकुर

श0 जु0 स0, केन्द्रीय कारा, भागलपुर

राह-ए-वतन

नफरत से हरदम किनारा कीजिए,
प्रेम अगर हो तो गवारा कीजिए,
जिनके खूनों में है, नापाक फितरत,
ऐसे लोगों से किनारा कीजिए।

आप में जब तक है सांस-ए-दम,
इन वतन को संवारा कीजिए,
बची हुई सभ्यता-ए-हिन्द को,
चंद गद्दारों से बचाया कीजिए।
रखिए शहीद-ए-वतन का जरा ख्याल,
तराणा-ए-राग जब गाया कीजिए,
आपकी हर जरूरत होगी पूरी,
बस एक बार माँ को पुकारा कीजिए।

भटके हैं भविष्य के शान-ए-हिन्द,
उन्हें राह-एक-वतन उतारा कीजिए,
जान-ए-जा बज्म में जाने से पहले,
वतन का सदका उतार कीजिए॥

बंदी का नाम-

आनंद कुमार आजाद,

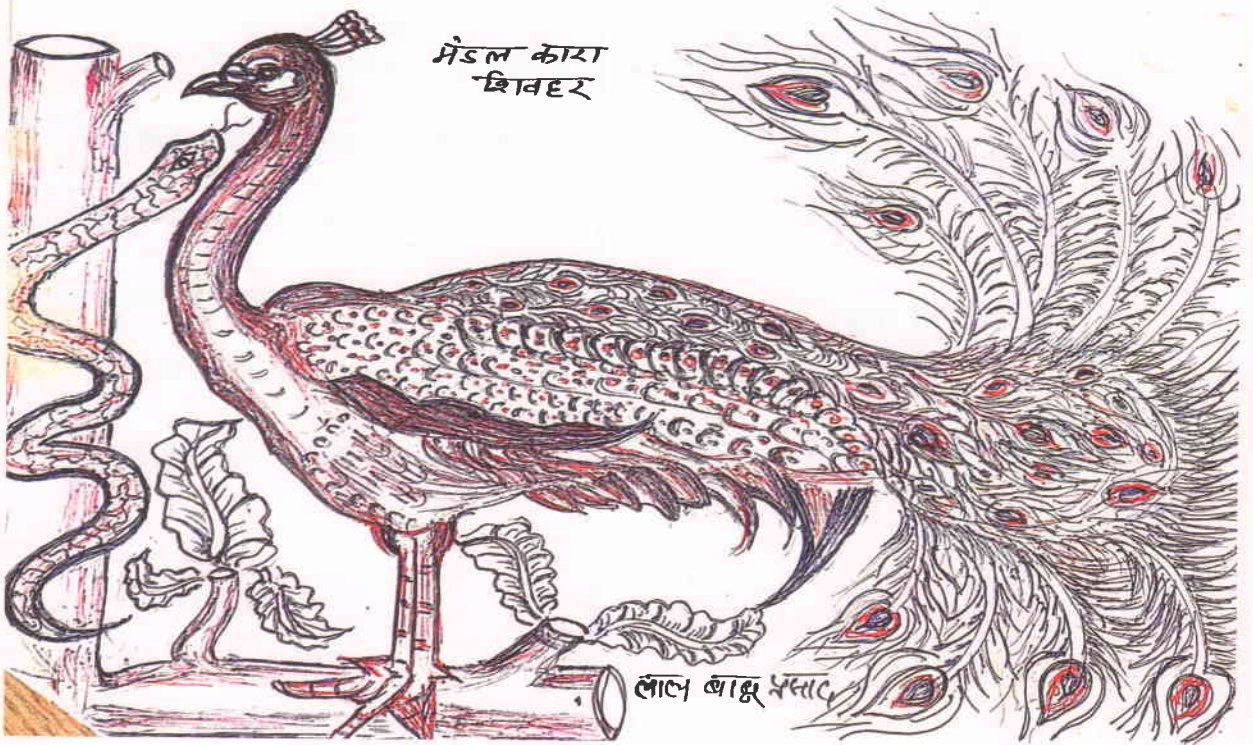
श0 जु0 स0, केन्द्रीय कारा, भागलपुर

मेंडल कारा शिवहर



लाल बाबू मस्त

मेंडल कारा
शिवहर

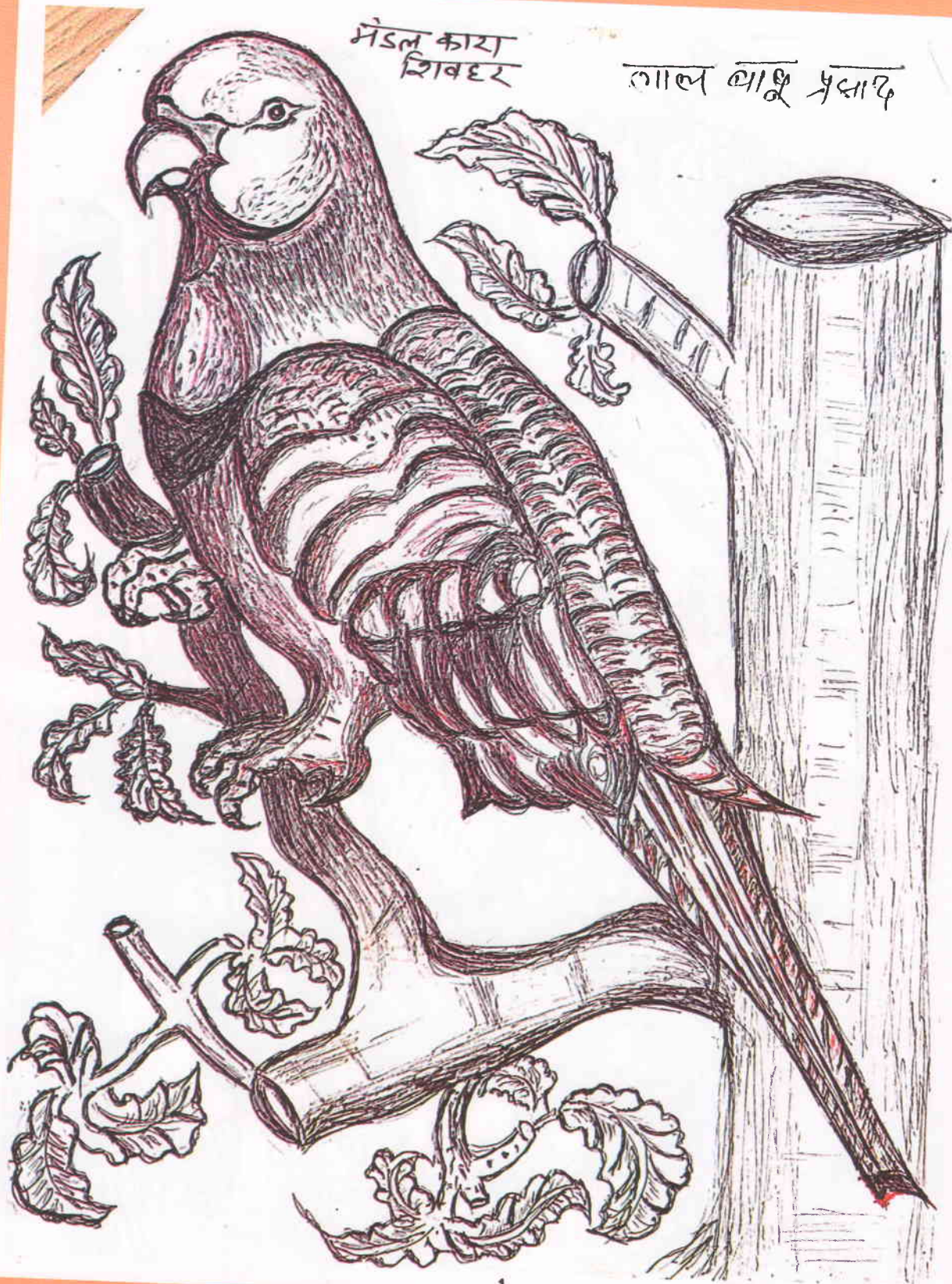


लाल बाबू मस्त

मंडल कारा शिवहर



बाल गुरु प्रसाद



“अपराध से घृणा करो
अपराधियों से नहीं”



प्रकाशक :

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान

दिग्धी कला, समीप मंडल कारा, हाजीपुर, वैशाली - 844101 (बिहार)

दूरभाष नं. : 06224 . 272117, फैक्स नं. : 06224 . 272117

ई-मेल - hajipurbica@gmail.com, director.bica@bihar.gov.in

बिहार सुधारात्मक प्रशासनिक संस्थान द्वारा आदेशित तथा युनाईटेड प्रिंटर्स एण्ड सर्विस प्रोभाइडर, पटना द्वारा मुद्रित, मो.-9334116542